

राजस्थान सरकार
निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

क्रमांक प.5/सां-1/ प्रशिक्षण/80/2016 20416

दिनांक 16-9-16

संशोधित आदेश

निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.5/सां-1/ प्रशिक्षण/80/2016 /20199 दिनांक 14.9.2016 के क्रम में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों का आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 19.9.2016 से 28.9.2016 तक मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों का मनोनयन किया गया था जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1. डॉ. महेश लाल पूर्विया, चिकित्साधिकारी, राज. आयु. औषधालय, हणूतियां अजमेर के स्थान पर डॉ. शिल्पा शर्मा, चिकित्साधिकारी, चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद औषधालय, पुष्कर, अजमेर।
2. डॉ. सज्जन कलानिया, चिकित्साधिकारी, राज. आयु. औषधालय, जायल, नागौर के स्थान पर डॉ. विष्णु कुमार शर्मा, चिकित्साधिकारी, राज. आयु. औषधालय, पापडदा, दौसा।
3. डॉ. सन्तोष मीना, चिकित्साधिकारी, राज. आयु. औषधालय, हिंगोटा, दौसा।

उपरोक्त चिकित्साधिकारी अधोलिखित निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे:-

1. प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रारम्भ दिनांक को निश्चित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा प्रतिदिन दोनो समय उपस्थिति मय समय के अंकन किया जायेगा।
2. प्रशिक्षणार्थी को आवास व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
3. प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ होने से 1/2 घंटे पूर्व प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना होगा। अल्पाहार के पश्चात् निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।
4. मध्यान्तर के समय प्रशिक्षण स्थल पर ही भोजन उपलब्ध कराया जावेगा। मध्यान्ह पश्चात् चाय के समय प्रशिक्षण स्थल पर ही चाय उपलब्ध कराई जायेगी। रात्री भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी को स्वयं करनी होगी।
5. प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण समय में पूरे समय उपस्थित रहना होगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
7. प्रशिक्षण समाप्ति पर नियमानुसार यात्रा भत्ता व्यय विपत्र प्रस्तुत करने पर साथ में मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

प्रशिक्षण संबन्धित अन्य जानकारी डॉ. जितेंद्र सिंह कोठारी, अति. समन्वयक, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ से मोबाइल न0 9829370006 एवं 9413370006 पर प्राप्त की जा सकती है।



(सुशील कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक

क्रमांक प.5/साखिंकी.1/प्रशिक्षण/80/ 2016

दिनांक 16-9-16

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, आयुर्वेद, अजमेर।
4. डॉ. जितेंद्र सिंह कोठारी अति.समन्वयक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को देकर लेख है कि प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविधालय, उदयपुर से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण करावें तथा समय-समय पर प्रशिक्षण के दौरान पर्यवेक्षण एवं अवलोकन भी करें।
5. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर एवं अजमेर।
6. जिला आयुर्वेद अधिकारी अजमेर, नागौर तथा दौसा को देकर लेख है कि सम्बन्धित को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित.....
- ✓ 8. कम्प्यूटर शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को देकर लेख है कि उपरोक्त संशोधित आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. रक्षित प्रत्रावली।

16/9/16

सहायक निदेशक